V. D. 2/7

स० न० – 737
फीस – 7
सीट – 2
अनु० शब्द – 200

न्यायालय उपजिलाधिकारी खलीलाबाद

ए०वी० एम० कालेज आफ एजूकेशन द्वारा प्रबन्धक पारसनाथ प्रसाद पाण्डेय बनाम सरकार	वाद संख्या - T 201617650254 4 अन्तर्गत धारा 143 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 ग्राम मटिहना तप्पा उन परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर।

नकल आदेश दिनांक – 24/02/2021

नोट :- उक्त की छाया प्रति संलग्न है।

न्यायालय :- उपजिलाधिकारी

मण्डलः- बस्ती, जनपदः-सन्तकबीर नगर, तहसील खलीलाबाद

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T 201617650254

वाद संख्याः-544/2016

ए0वी0एम0 कालेज ऑफ एजूकेशन द्वारा प्रबन्धक परमात्मा प्रसाद पाण्डेय बनाम सरकार

उ०प्र० ज० वि० भू० व्य० अधिनियम, 1950, अंतर्गत धाराः-143

''अंतिम आदेश''

आदेश तिथि :- 06/12/2016

ए0वी0एम0 कालेज ऑफ एजूकेशन खलीलाबाद द्वारा प्रबन्धक परमात्मा प्रसाद पाण्डेय पुत्र बृजभूषण पाण्डेय निवासी हरिहरपुर ने ग्राम मटिहना मटिहना, तप्पा ऊन, परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर स्थित आराजी संख्या 9मि/0.2390 व 10मि/0.3710 हे0 को कृषि से इतर घोषित करने हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी निजाई में विद्यालय भवन निर्मित कर उसमें शिक्षण संस्थान तथा खेल का मैदान के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अन्त में अनुरोध किया कि आराजी निजाई कृषि से इतर घोषित किया जाय।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार खलीलाबाद से जॉच करायी गयी। तहसीलदार खलीलाबाद ने राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 30.01.2016 को संस्तुति सहित प्रेषित किया। राजस्व निरीक्षक ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ग्राम मटिहना स्थित आराजी निजाई संख्या 9मि/0.2390 व 10मि/0.3710 हे0 पर ए0वी0एम0 कालेज ऑफ एजूकेशन खलीलाबाद का भवन बना हुआ है। भूमि वाउण्ड्री के अन्दर है। उक्त रकबा राजस्व अभिलेख में महाविद्यालय के नाम अंकित है। आराजी निजाई पर कृषि कार्य नहीं होता है। भूमि अकृषिक हो चुकी है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार खलीलाबाद की रिपोर्ट व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में वादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी सन् 1417 से 1422 फ0 व खसरा 140ख का परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट व साक्ष्य के अवलोकन से मैं इस मत का पाता हूँ कि आराजी निजाई में कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि अकृषिक हो चुकी है। इसलिए आराजी निजाई को कृषिएत्तर कार्यो हेतु घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः ग्राम मटिहना तप्पा ऊन परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद स्थित आराजी निजाई संख्या 9मि/0.2390 व 10मि/0.3710 हे0 लगान 20.70 रूपया कृषि से इतर कार्य हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक खलीलाबाद को निःशुल्क निबन्धन हेतु भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी
खलीलाबाद

शुद्ध प्रतिलिपि

नकल अहलमद

[illegible] 08-02-2018
[illegible] 23-02-2018
[illegible] 23-02-2018